

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 27 / 2023

बचनवान

राज0 सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मधुसूदन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बी-137, न्यू नाकोड़ा, बारों जिला बारों (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स अक्षिता किराना स्टोर, झालावाड़ रोड, तेलफैक्ट्री, बारों
2. मैसर्स अक्षिता किराना स्टोर, झालावाड़ रोड, तेलफैक्ट्री, बारों
3. श्री हिमांशु गोयल पुत्र श्री महेन्द्र गोयल निवासी सराफा बाजार, बावड़ियों की गली, बारों(मालिक) मैसर्स हिमांशु ट्रेडर्स, कुंज विहार कॉलोनी, अटरू रोड, बारों
4. मैसर्स हिमांशु ट्रेडर्स, कुंज विहार कॉलोनी, अटरू रोड, बारों
5. श्री यश गुप्ता पुत्र श्री राज कुमार गुप्ता निवासी 403 ब्लॉक-ए, महालक्ष्मी पुरम, बारों रोड, कोटा(मालिक) मैसर्स शिवाय ट्रेडिंग कंपनी, गायत्री विहार, द्वितीय बोरखेड़ा, कोटा।
6. मैसर्स शिवाय ट्रेडिंग कंपनी, गायत्री विहार, द्वितीय बोरखेड़ा, कोटा।
7. श्री विजय कुमार गोयल पुत्र श्री सत्य नारायण गोयल निवासी आवंली रोड, रणबांका सर्किल, नयागांव कोटा(मालिक) मैसर्स नॉर्थ इण्डिया एसोसिएशन, आवंली रोड, रणबांका चौराहा, नयागांव कोटा
8. मैसर्स नॉर्थ इण्डिया एसोसिएशन, आवंली रोड, रणबांका चौराहा, नयागांव कोटा

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51/58 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- स्वयं उपस्थित

(अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 03.10.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2022 को मैसर्स अक्षिता किराना स्टोर, झालावाड़ रोड, तेलफैक्ट्री, बारों जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ श्री रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मधुसूदन शर्मा(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक /एच/एफएसएसए/ (एफ-28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ लाइट कुकिंग मीडियम (अभित्री) 500 एमएल मूल गत्ते पैक लकड़ी के रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मुझे सूचना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ लाइट कुकिंग मीडियम (अभित्री) 500 एमएल में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **लाइट कुकिंग मीडियम (अभित्री) 500 एमएल** के 04 मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मधुसूदन शर्मा(विक्रेता एवं मालिक) को 400/- रुपये (अक्षरे चार सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **लाइट कुकिंग मीडियम (अभित्री) 500 एमएल** के चार मूल गत्ते पैक के चारों भागों पर अलग-अलग प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल तैयार कर डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1579 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1579 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मधुसूदन शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/350 दिनांक 09.11.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1402/PHL/kota/Act/2022/1405 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाइट कुकिंग मीडियम (अभित्री) 500 एमएल गत्ते पैक धारा 3(1)(zx)** के तहत अवमानक(Sub standard) एवं धारा **3(1)(zx)A(i)&C(i)** के तहत **मिसलीड** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **लाइट कुकिंग मीडियम (अभित्री) 500 एमएल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा **3(1)(zx)** के तहत **अवमानक(Sub Standard)** एवं धारा **3(1)(zx)A(i)&C(i)** के तहत **मिसलीड** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (1) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ **लाइट कुकिंग मीडियम (अभित्री) 500 एमएल गत्ते पैक** में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है। हमारे विरुद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1402/PHL/kota/Act/2022/1405 दिनांक 28.10.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जयें पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये, किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाइट कुकिंग मीडियम (अभिथ्री) 500 एमएल गत्ते पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1402/PHL/kota/Act/2022/1405 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा **3(1)(zx)** के तहत **अवमानक(Sub Standard)** एवं धारा **3(1)(zx)A(i)&C(i)** के तहत **मिसलीड** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 07 व 08 को कुल जुर्माना राशि 71,000/- रुपये (अक्षरे इकहत्तर हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 07 व 08 उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद **0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क** आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **03.10.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारों (राज.)